न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019-00157RAAJodhpur2019-082RTA223 LRs of Lunaram Vs Ghewarram etc

1. लूणाराम पुत्र रामुराम के कायममुकामान--
   1.1. भंवरलाल पुत्र लूणाराम
   1.2. श्रीमती केशी देवी पत्नी लूणाराम
2. श्रीमती कंवराई पत्नी पीथाराम
3. भूण्डाराम पुत्र पीथाराम
4. बबुलाल पुत्र पीथाराम
5. ओमाराम पुत्र पीथाराम

   समस्त जाति मेघवाल, निवासी ग्राम बीनावास
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर (राजस्थान)

.... अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. घेवरराम पुत्र रामूराम
2. जगदीश कुमार पुत्र बस्तीराम
3. श्यामलाल पुत्र बस्तीराम
4. श्रवणराम पुत्र बस्तीराम
5. मोहनराम पुत्र बस्तीराम
6. शंकरलाल पुत्र बस्तीराम

   समस्त जाति मेघवाल, निवासी ग्राम बीनावास
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बिलाडा
   जिला जोधपुर

... रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश एवं संशोधित अंतिम डिकी सहायक एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा दिनांक कमशः 27 जून 2019 एवं 08 जुलाई 2019 राजस्व वाद संख्या 01/2018 लूणाराम के कायममुकामान बनाम घेवरराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री मूलसिंह भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से छः
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 25 सित. 2020

अपीलाण्ड्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2018 लूणाराम के कायममुकामान बनाम घेवरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2019 एवं संशोधित अंतिम डिकी दिनांक 08 जुलाई 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 22 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ड्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम बीनावास, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 79 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 373 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 2 रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 79/1 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 394/1 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 2 खसरा 16 बीघा 02 बिस्वा और खसरा संख्या 373/1 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 394 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा कुल खसरा 2 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

45 बीघा 13 बिस्वा, तदुनसार कुल रकबा 98 बीघा 02 बिस्वा में वादी-अपीलाण्ट संख्या एक को 1/6 हिस्से, वादी-अपीलाण्ट्स संख्या 2 से 5 को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक को 1/6 हिस्से एवं प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 6 को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर भूमि का माप व सीमांकन के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादीगण-अपीलाण्ट्स को उनका हिस्सा अलग प्रदान किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शें में अंकन किये जाने एवं इसी अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से उक्त वाद का जबाब पेश नहीं किया जाकर एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया और कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात पूर्व में पीथाराम, रामूराम पिसरान कचराराम 2/3 हिस्सा व बस्तीराम पुत्र गोकलराम 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी की थी, कालान्तर में पीथाराम के स्थान पर उसकी पत्नी कंवराई व चार पुत्रों भुण्डाराम, लाबूराम, बाबूलाल व ओमाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए, इसी प्रकार रामूराम के स्थान पर उसके दो पुत्र लूणाराम व घेवरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए। इसी अनुसार पक्षकारान ने आपसी सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम चान्देलाव के शिविर प्रभारी तहसीलदार बिलाडा के समक्ष दिनांक 07 सितम्बर 1998 को बंटवारा कर लिया। अतः अब पुनः इन्हीं पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजियात का नये सिरे से बंटवारे का दावा विधि द्वारा बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। जो तदनुसार खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश एवं संशोधित अंतिम डिक्री स्वीकार करते हुए मूल दावा खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य आदिनांक तक कोई औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ है और न ही राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की कोई तरमीम की गयी है। तथाकथित बंटवारा दिनांक 07 सितम्बर 1998 पूर्णतया फर्जी एवं कूटरचित है, जो कि दस्तावेजी प्रमाण के तौर पर मौजूद नहीं है। ऐसे किसी दस्तावेज का निष्पादन ही नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस साक्ष्य एवं आधार के वादग्रस्त आराजियात का पूर्व में बंटवारा होना सिद्ध मानते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा सरसरी कार्यवाही के जरिये खारिज करने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। वस्तुतः प्रतिवादीगण के जबाबदावा लिया जाकर इस संबंध में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई की जाकर दावा की निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुसार निस्तारण किया जाना चाहिये था। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात का पक्षकारान ने पूर्व में लिखित बंटवारा किया हुआ है। जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात किये जा चुके है और वर्तमान में अपीलाण्ट्स-वादीगण राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार दर्ज नहीं है। चूंकि कृषि भूमि का बंटवारा रिकार्डेड सहखातेदारान के मध्य ही हो सकता है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स-वादीगण राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारान दर्ज नहीं होने के कारण उनके द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत प्रस्तुत बंटवारे का दावा विधि द्वारा बाधित (bared by law) होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात के मूल खसरा संख्या 79 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, 394 रकबा 45 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा संख्या 373 रकबा 33 बीघा 08 बिस्वा होने, वादीगण-अपीलाण्ट्स एवं प्रतिवादीगण-रेस्पो. एक ही खानदान के वंशज होने बाबत कोई विवाद नहीं है। अपील-मीमो में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार अपीलाण्ट्स ने खानदान के पूर्व-पुरुष कचराराम के तीन पुत्र रामूराम, गोकलराम एवं पीथाराम होना और इसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात कुल रकबा 98 बीघा 02 में रामूराम (एवं उनके वारिसान) का ⅓ हक-हिस्सा अर्थात 32 बीघा 14 बिस्वा भूमि, गोकलराम (एवं उनके वारिसान) का हक-हिस्सा अर्थात 32 बीघा 14 बिस्वा भूमि, और पीथाराम (एवं उनके वारिसान) का हक-हिस्सा अर्थात 32 बीघा 14 बिस्वा भूमि होना जाहिर किया है।

रेस्पो.-प्रतिवादीगण की ओर से अपील स्तर पर तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में पूर्व-पुरुष कचराराम के तीन पुत्र रामूराम, गोकलराम एवं पीथाराम होना, उक्त तीन खसरान की आराजियात के अलावा खसरा संख्या 98 रकबा 14 बिस्वा भी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना जाहिर किया एवं पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम चान्देलाव के शिविर प्रभाव तहसीलदार बिलाडा के समक्ष दिनांक 07 सितम्बर 1998 को उक्त खसरा संख्या 98 रकबा 14 बिस्वा को पक्षकारान के मध्य सामलाती रखते हुए बकाया तीनों ***खसरान की भूमि का बंटवारा कर लिया जाना जाहिर किया।***

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसका कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण विचारण न्यायालय अथवा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थनापत्र में तथाकथित विभाजन के जरिये रामूराम, गोकलराम एवं पीथाराम के वारिसान के मध्य रखे गये रकबे का विवरण निम्नांकित तालिका से भलीभांति समझा जा सकता है--

क्र. सं.	विवरण	खसरा सं. 79	खसरा सं. 394	खसरा सं. 373	योग
1	**रामूराम के वारिसान** लूणाराम(वादी संख्या एक), घेवरराम (प्रतिवादी संख्या एक) पिसरान रामूराम	9 बीघा 13 बिस्वा (पूर्वी तरफ)	16 बीघा 14 बिस्वा (दक्षिणी तरफ)	कोई हिस्सा नहीं	26 बीघा 07 बिस्वा
2	**पीथाराम के वारिसान** कंवराई पत्नी पीथाराम, भूण्डाराम, लाबूराम, बाबूलाल व ओमाराम पिसरान पीथाराम (वादीगण संख्या 2 से 5)	9 बीघा 13 बिस्वा (पश्चिमी तरफ)	कोई हिस्सा नहीं	16 बीघा 14 बिस्वा (उत्तरी तरफ)	26 बीघा 07 बिस्वा
3	**गोकलराम के वारिसान** बस्तीराम पुत्र गोकलराम (प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 के पिता)	कोई हिस्सा नहीं	28 बीघा 14 बिस्वा (उत्तरी तरफ)	16 बीघा 14 बिस्वा (दक्षिणी तरफ)	45 बीघा 08 बिस्वा
		19 बीघा 06 बिस्वा	45 बीघा 08 बिस्वा	33 बीघा 08 बिस्वा	98 बीघा 02 बिस्वा

उक्त तालिका के अवलोकन मात्र से प्रकट हो जाता है कि तथाकथित बंटवारा में भी कचराराम के वारिसान के मध्य वादग्रस्त आराजियात का असमान विभाजन हुआ है। ऐसी स्थिति में, जहॉ एक पक्ष द्वारा पूर्व में कभी भी वादग्रस्त आराजियात का कोई विभाजन नहीं होना जाहिर करते हुए विभाजन का दावा पेश किया गया हो, प्रतिपक्ष द्वारा पूर्व में सक्षम अधिकारी/न्यायालय के समक्ष सहखातेदारान की परस्पर सहमति से वादग्रस्त आराजियात का लिखित बंटवारा होकर विधिवत कार्यवाही होना जाहिर किया जा रहा हो, तो ऐसे तथाकथित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बंटवारे बाबत कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा हो, उस स्थिति में निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुरूप विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में वाद की कार्यवाही करते हुए दावे एवं जबाब के आधार पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे सहित तनकियात कायम की जाकर नियमानुसार वाद का निस्तारण करने की बजाय मात्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र पर सरसरी तौर पर कार्यवाही कर वादीगण-अपीलाण्ट्स का वाद खारिज करते हुए पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 जून 2019 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 08 जुलाई 2019 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि प्रतिवादीगण को जबाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे और उपरोक्त आब्जर्वेशनानुसार कार्यवाही करते हुए पुनः न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/9/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर